कार्यालय समन्वयक, पी.टी.ई.टी.-2024

वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

क्र.सं. वमखुवि/PTET/2024/ 575 दिनाँक 05/07/2024

अधिसूचना संख्या: 05/2024 दिनांक 05.07.2024

चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. एवं दो वर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

1. पी.टी.ई.टी.-2024 चार वर्षीय बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. एवं दो वर्षीय प्रवेश परीक्षा का परिणाम दिनांक 04.07.2024 को अधिकृत वेबसाईट www.ptetvmou2024.com पर जारी किया जा चुका है। परीक्षा की अंकतालिका में अभ्यर्थी की श्रेणी इत्यादि का अंकन किया गया है। अभ्यर्थी जाँच ले कि उसके तथ्य/डाटा सही है अथवा नहीं।
2. पी.टी.ई.टी.-2024 में प्रविष्ट सभी अभ्यर्थियों का बिना किसी कट ऑफ के परिणाम जारी किया गया है। पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता रखने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस टेस्ट में अपने प्राप्त अंकों के आधार पर पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क 5000/- रूपया जमा करवा कर काउंसलिंग में भाग ले सकता है।
3. अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु उनके द्वारा चयनित विकल्पों की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी के संकाय, श्रेणी, उप श्रेणी एवं परीक्षा प्राप्तांक आदि के अनुसार उपलब्ध सीटों पर मेरिट के आधार पर महाविद्यालय आवंटन होगा।

   <u>अभ्यर्थी पाठ्यक्रम में अपने प्रवेश के अवसर को अधिक सुरक्षित करने की दृष्टि से महाविद्यालय चयन हेतु दिये जाने वाले विकल्प (Choices) मे अधिकतम विकल्प भरें। अभ्यर्थी सभी उपलब्ध महाविद्यालयों को विकल्प के रूप में चयन कर सकता है। महाविद्यालय विकल्प देने की कोई सीमा नहीं है।</u>

   अभ्यर्थियों को महाविद्यालय चयन हेतु ऑप्शन भरने के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात् अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

   प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन/आवंटन एवं अन्य प्रक्रियाओं का कार्यक्रम निम्न प्रकार होगा-

विवरण	दिनाँक
ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क 5000/- ऑनलाइन/ ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना	06.07.2024 से 12.07.2024
महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना (पंजीकरण शुल्क रु 5000/- जमा करवाने के पश्चात)	07.07.2024 से 14.07.2024
प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय की सूचना	17.07.2024
प्रवेश हेतु शेष शुल्क रु. 22000/- बैंक ऑनलाइन / ई-मित्र के माध्यम से जमा करवाना।	17.07.2024 से 23.07.2024
प्रथम काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिशः रिपोर्ट (शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ)	17.07.2024 से 26.07.2024
अपवर्ड मूवमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन (महाविद्यालय में रिपोर्ट के पश्चात)	19.07.2024 से 27.07.2024
अपवर्ड मूवमेंट के पश्चात महाविद्यालय आवंटन की सूचना	28.07.2024
अपवर्ड मूवमेंट पश्चात आवंटित महाविद्यालयों में रिपोर्टिंग	29.07.2024 से 30.07.2024

4. रजिस्ट्रेशन शुल्क केवल ऑनलाइन अथवा ई-मित्र एवं शेष शुल्क उपर्युक्त वर्णित तिथियों में बैंक समयावधि में आई.सी.आई.सी.आई. बैंक की किसी भी शाखा में ऑनलाइन पेमेंट गेटवे व ई-मित्र के माध्यम जमा किया जायेगा।

5. ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रथम चरण में अभ्यर्थी को अंक तालिका में दी गई काउंसलिंग आई.डी. इत्यादि का उपयोग करते हुए 5000/- रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करवाना होगा। काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व अभ्यर्थी पीटीईटी-2024 के अपने मूल आवेदन-पत्र में दर्शाए गये केटेगरी **(GEN, SC, ST, OBC, SBC, MBC, EWS etc.)** तथा सब केटगरी (Divorcee/PH/Defence etc.) की जाँच कर ले तथा अपने पास मूल दस्तावेज उपलब्ध हो इसकी भी जाँच कर लें। जाति प्रमाण-पत्र वैध एवं अवधि निर्धारित का होना चाहिए।

6. महाविद्यालयों के चयन हेतु पीटीईटी-2024 की अधिकृत वेबसाईट पर स्थित महाविद्यालयों की सूची के नाम, पता इत्यादि स्पष्ट कर लें एवं इन महाविद्यालयों के बारें में सम्पूर्ण जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर लें तदुपरान्त ही काउंसलिंग हेतु अधिक से अधिक कॉलेजो का चयन कर ही लॉक करना उचित रहेगा। All Rajasthan का चयन अति सावधानी से करे। कॉलेज चॉइस लॉक करने में जल्दबाजी न करें एक बार लॉक होने पर पुनः कॉलेज विकल्प का चयन नहीं होगा।

7. अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होने पर 200/- रूपये कटौती करके 4800/- रिफण्ड हो जायेंगे, किन्तु महाविद्यालय आवंटित होने के उपरान्त ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करने पर व शेष शुल्क जमा नहीं करवाने पर अभ्यर्थी के 600/- रूपये काटकर 4400/- रूपये रिफण्ड होंगे। रिफण्ड अभ्यर्थी के स्वयं के बैंक खातें में ही होंगे। अतः रजिस्ट्रेशन के समय बैंक विवरण यथा नाम, खाता संख्या, IFSC CODE इत्यादि पूर्ण सावधानी से भरें

8. काउंसलिंग के उपरान्त अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी। तत्पश्चात अभ्यर्थी ऑनलाइन (Student Login) द्वारा सभी वाछनीय दस्तावेज अपलोड करेंगे। उसके पश्चात शुल्क की शेष राशि रूपयें 22000/- ऑनलाइन / ई-मित्र अथवा बैंक के माध्यम से जमा करवायेंगे। शुल्क जमा होने के पश्चात संबंधित महाविद्यालय द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन (वेरिफाई) करने के बाद अभ्यर्थी का प्रवेश Confirm होगा तथा अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी। महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड कर उनका प्रिन्ट निकालकर सुरक्षित रख लें। यदि मूल दस्तावेज सत्यापन (वेरिफाई) नहीं हो पाते पाये उस स्थिति में अभ्यर्थी के 1000/- रूपये काटकर शेष राशि रिफंड होगी |

9. अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गये महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क 22000/- फीस जमा होने और महाविद्यालय द्वारा Verification होने के उपरान्त ही Upward Movement कर सकता है। Upward Movement के उपरान्त नया महाविद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में पूर्व में आवंटित महाविद्यालय जिस पर अभ्यर्थी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की थी, वही महाविद्यालय आवंटित रहेगा और किसी भी स्थिति में फीस रिफण्ड नहीं होगी। Upward Movement होने पर नये आवंटित महाविद्यालय में Online reporting करनी होगी। पुनः फीस तथा Documents अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है।

10. अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित होने और **5000 + 22000 = 27,000/-** शुल्क जमा करवानें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग व महाविद्यालय द्वारा Verification हो जाने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क रिफण्ड नही होगा। अपवर्ड मूवमेन्ट में अपवर्ड नही होने पर पूर्व में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश माना जायेगा और शुल्क रिफण्ड नही होगा।

11. महाविद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है और समस्त प्रक्रिया अभ्यर्थी द्वारा चुने गये महाविद्यालय, उपलब्ध सीटे, संकाय, विषय, अभ्यर्थी की केटेगरी और सब केटेगरी के अनुसार राज्य

सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही होती है। एक बार काउंसलिंग प्रारम्भ होने के बाद आवेदन-पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नही है यथा कैटेगरी, सब कैटेगरी इत्यादि।

12. सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग प्रक्रिया से पूर्व जाँच ले कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्शाए गये सभी तथ्य सही है और उनके पास अर्हता, कैटेगरी (अर्हता परीक्षा में GEN व EWS के लिए 50% व SC/ST/OBC/SBC/MBC/PH/Widow/Divorce के लिए 45% से उत्तीर्ण) `से सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेज पूर्ण एवं सही है। इसमें किसी प्रकार की भिन्नता होने पर प्रवेश निरस्त माना जायेगा और प्रवेश शुल्क वापस नही होगा और इसकी समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।

13. बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये समय-समय पर राज्य सरकार, विश्वविद्यालय, NCTE अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश लागू होंगे।

14. अभ्यर्थी के दस्तावेजों के सत्यापन की पूर्ण जिम्मेदारी आवंटित महाविद्यालय की होगी।

15. जो अभ्यर्थी निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नही करेंगे उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

(signature)

समन्वयक

पीटीईटी परीक्षा-2024